86

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ

रीवा म.प्र.

III/निग०/सतना/भू.रा./2017/2265

10/-

Rs 30/-

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

गोपेश प्रसाद शर्मा तनय स्व.बाबूलाल शर्मा सचिव छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.............. ....

पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

1—स्वामी आशुतोष उर्फ अनन्त प्रपन्नाचार्य निवासी ग्राम सोहावल तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2—शासन म.प्र.द्वारा—कलेक्टर सतना म.प्र....रेस्पा./आवेदकगण

अधि० श्री संजय तिवारी द्वारा पेश/19.7.17

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा—50(1) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2017 रा.प्र.कं. 7बी113/83--84 पारित द्वारा—अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट सतना म.प्र.

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर विनय करता है:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:—

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोहावल

....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक– तीन/निग./सतना/भू.रा./2017/2265

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री संजय तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट सतना म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 7 बी/113/83–84 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह प्रकरण ट्रस्ट से संबंधित है एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश अंतिम आदेश होने के कारण, अपील योग्य है। अतः प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने के कारण समाप्त किया जाता है। आवेदक चाहे तो प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। सदस्य	